रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05062026-273178
CG-DL-E-05062026-273178

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 385] नई दिल्ली, सोमवार, जून 1, 2026/ज्येष्ठ 11, 1948
No. 385] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 1, 2026/JYAISHTHA 11, 1948

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2026

सा.का.नि. 427(अ).—केंद्रीय सरकार, मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम, 2017 (2017का 10) की धारा 121 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख (केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण और मानसिक स्वास्थ्य पुनर्विलोकन बोर्ड) नियम, 2018 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख (केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण और मानसिक स्वास्थ्य पुनर्विलोकन बोर्ड) संशोधन नियम, 2026है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख (केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण और मानसिक स्वास्थ्य पुनर्विलोकन बोर्ड) नियम, 2018 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के अध्याय 3 में, --

i. शीर्षक में, "अनंतिम रजिस्ट्रीकरण" शब्दों के स्थान पर "रजिस्ट्रीकरण" शब्द रखा जाएगा;

ii. नियम 12 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"12क, केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों के स्थायी रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया-

1. मानसिक स्वास्थ्य स्थापन, अधिनियम की धारा 66 की उपधारा (12) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट प्ररूप-ग में स्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए विनिर्दिष्ट फीस के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगा।

2. केंद्रीय प्राधिकरणका इस बात से समाधान होने पर कि मानसिक स्वास्थ्य स्थापन, अधिनियम की धारा 65 और धारा 66 के अधीन विनिर्दिष्ट मानकों और सभी अपेक्षाओं को पूरा करता है, ऐसे मानसिक स्वास्थ्य स्थापन को प्ररूप- गक में स्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अनुदत करेगा।

3. जहां इस अधिसूचना के प्रकाशन से पहले किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन को स्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया है, ऐसा प्रमाण पत्र विधिमान्य रहेगा और इस नियम के प्रयोजन के लिए स्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र माना जाएगा।"

3. उक्त नियमों में, प्ररूप-ग के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

प्ररूप– गक

(नियम 12 क (3) देखिए)

स्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र

केंद्रीय प्राधिकरण, मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम, 2017 (2017का 10) की धारा 65 (12) के साथ पठित धारा 66 (2) के अधीन…………………… द्वारा प्रस्तुत तारीख .... के आवेदन पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान होने पर कि ऐसा मानसिक स्वास्थ्य स्थापन जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा करता है, आवेदक मानसिक स्वास्थ्य स्थापन को मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम, 2017 की धारा 66 (17) के निबंधनों में स्थायी रजिट्रीकरण प्रदान करता है, जैसा कि नीचे दिए गए विवरण में दिया गया है:

स्थापन का नाम:……………………………………………………

पता…………………………………………………………………

बिस्तरों की संख्या…………………………………………………

यह स्थायी रजिट्रीकरण प्रमाण-पत्र मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों में अधिकथित शर्तों के अधीन तथा उसमें विहित मानकों के अधीन जारी किया जाता है।

रजिस्ट्रीकरण सं.:

स्थान:

तारीख:

रजिट्रीकरण प्राधिकारी

केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की मुहर

[फा. सं. वी.15012/01/2023 – पीएच-I]

प्रभाकर, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख (केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण और मानसिक स्वास्थ्य पुनर्विलोकन बोर्ड) नियम, 2018 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 507 (अ) तारीख 29 मई, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2026

G.S.R. 427(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 121 of the Mental Healthcare Act, 2017 (10 of 2017), the Central Government hereby makes the following rules, to amend the Mental Healthcare (Central Mental Health Authority and Mental Health Review Boards) Rules, 2018 namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Mental Healthcare (Central Mental Health Authority and Mental Health Review Boards) Amendment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mental Healthcare (Central Mental Health Authority and Mental Health Review Boards) Rules, 2018 (hereinafter referred to as the said Rules), in Chapter III, --

i. in the heading, for the words "Provisional Registration" the word "Registration" shall be substituted;

ii. after rule 12, the following rule shall be inserted, namely:-

"12A, Procedure for Permanent Registration of mental health establishments by Central Authority. –

1. A mental health establishment shall submit an application for permanent registration in Form-C as specified in the regulations made in exercise of the power under sub-section (12) of section 66 of the Act along with the specified fees.

2. The Central Authority shall on being satisfied that the mental health establishment fulfills the standards and all requirements specified under sections 65 and 66 of the Act, grant permanent registration certificate in Form – CA to such mental health establishment.

3. Where a Permanent Registration Certificate has been issued to any mental health establishment prior to publication of this notification, such certificate shall remain valid and be considered as permanent registration certificate for the purpose of this rule."

3. In the said rules, after Form-C, the following Form shall be inserted, namely:-

FORM – CA

(See Rule 12 A (3))

Certificate of Permanent Registration

The Central Authority, after considering the application dated ……………………submitted by ________________________________ under section 65 (2) read with section 66 (12) of the Mental Healthcare Act, 2017 (10 of 2017) and on being satisfied that such mental health establishment fulfils the standards specified by the authority, hereby accords permanent registration to the applicant mental health establishment in terms of section 66 (17) of the Mental Healthcare Act, 2017, as per details given hereunder:

Name of the Establishment:……………………………………………………

Address …………………………………………………………………

Number of Beds…………………………………………………………

This permanent registration certificate is issued subject to the conditions laid down in the Mental Healthcare Act, 2017 and the rules and regulations made there under and standards prescribed therein.

Registration No.:

Place:

Date:

Registration Authority

Seal of the Central Mental Health Authority

[F. No. V.15012/01/2023–PH-I]

PRABHAKAR, Jt. Secy.

Note:- The Mental Healthcare (Central Mental Health Authority and Mental Health Review Boards) Rules, 2018 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) vide notification number G.S.R. 507 (E) dated the 29thMay, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA